Latest Laws.com

Helping Good People Do Good Things

# Bare Acts & Rules

**Free Downloadable Formats**

Hello Good People !

झारखण्ड सरकार

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102

8 फाल्गुन 1927 शकाब्द
राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

## विधि (विधान) विभाग

---

**अधिसूचना**

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-06/2001-33/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

## झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005
## [झारखण्ड अधिनियम 08, 2006]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह ''हकदार होगा'' के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--

''हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी'' ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द क्षेत्रीय भत्ता ''प्रतिमाह'' के बाद अंक ''4000/-'' के स्थान पर अंक ''8000/-'' एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द ''चार हजार'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

''मुख्य मंत्री 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह'' ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह ''रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)'' के स्थान पर शब्द समूह ''रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**राम बिलाश गुप्ता,**
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102-300+400--शनि मुण्डा ।